UPPG160014002023

Criminal Misc. Cases/175/2023

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुण्डा, प्रतापगढ़।

दिलीप कुमार तिवारी पुत्र श्री रामप्रताप तिवारी
निवासी ग्राम गोपालपुर, थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़।

बनाम

१. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र कल्पनाथ तिवारी व अन्य
निवासी ग्राम गोपालपुर, थाना महेशगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना–महेशगंज, प्रतापगढ़।

दिनांक–१०.०८.२०२३

पत्रावली आदेशार्थ नियत है। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा १५६(३) दं०प्र०सं० पर पूर्व में सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा १५६(३) दं०प्र०सं० इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि सम्बन्धित थानाध्यक्ष को आदेशित किया जाये कि प्रार्थना पत्र के प्रकाश में अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कर विवेचना करें।

संक्षेप में आवेदक का आधार प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि घटना दिनांक २९.०१.२३ समय ३.०० बजे शाम, प्रार्थी अपनी पूर्वजीय आबादी की भूमि पर मिट्टी डालकर समतल कर रहा था जिस पर प्रार्थी का पूर्वजीय कुआं निर्मित है जिससे प्रार्थी पूर्वजों के समय सिंचाई करता था। विपक्षीगण एकराय होकर लाठी डण्डा लेकर आये एवं उसे मारापीटा, मां–बहन की गन्दी–गन्दी गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। प्रार्थना पत्र शपथ पत्र से समर्थित है।

पत्रावली पर उपलब्ध थाना रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तुत मामले में प्रस्तावित अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र के समर्थन में शपथ पत्र, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद प्रतापगढ़ को प्रेषित प्रार्थना पत्र की छायाप्रति मय रजिस्ट्री डाक रसीद मूलप्रति व आधार कार्ड की छायाप्रति, चिकित्सीय रिपोर्ट की छाया प्रति आदि दाखिल किया है।

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों से प्रकट होता है कि इस मामले में साक्ष्य प्रार्थी के संज्ञान में है और प्रार्थी स्वतः न्यायालय के समक्ष मामले से सम्बन्धित साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है। **सुखवासी बनाम राज्य उ० प्र० 2007 (59) ए० सी० सी० 739 एवं सुरेश चन्द्र जैन बनाम राज्य मध्य प्रदेश व अन्य 2001 (42) ए० सी० सी० 459** की विधि व्यवस्थाओं में दिये गये मार्गदर्शन के प्रकाश में मामले की विवेचना पुलिस के माध्यम से न कराकर जांच स्वयं न्यायालय द्वारा किया जाना न्यायोचित है। तदनुसार प्रार्थी द्वारा धारा १५६(३) दं०प्र०सं० के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र परिवाद के रूप में दर्ज किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी **दिलीप कुमार तिवारी पुत्र श्री रामप्रताप तिवारी** द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा १५६(३) दं०प्र०सं० परिवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर हो। परिवादी सूची गवाहान बिना अनुचित विलम्ब के दाखिल करें। पत्रावली वास्ते बयान परिवादी अन्तर्गत धारा–२०० दं०प्र०सं० दिनांक ११.०९.२३ को पेश हो।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कुण्डा, प्रतापगढ़
(J.O.Code–UP2275)

hriday/–steno

Digitally signed by Anupam Dubey
Date: 2023.08.11 12:48:17 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court